शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला–02, 11 अक्तूबर, 2022

संख्याः यू0डी0–ए(3)–2 / 2022.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश स्लम वासी (साम्पत्तिक अधिकार) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.––(**1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्लम वासी(साम्पत्तिक अधिकार) नियम, 2022 है।

(2) यह नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**––(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अधिनियम'' से हिमाचल प्रदेश स्लम वासी (साम्पत्तिक अधिकार) अधिनियम, 2022 अभिप्रेत है;

(ख) ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) ''परिसर (परिसरों)'' से कोई भूमि, भवन या भूमि या भवन का भाग जो आवास के रूप में उपयोग या उपयोग किए जाने के लिए आशयित है, अभिप्रेत है;

(घ) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और

(ङ) ''स्लम परिवार'' से अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा (1) के खण्ड (ञ) में यथापरिभाषित कुटुम्ब अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम या हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 या हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 में उनके हैं।

3. **साम्पत्तिक अधिकार प्रदान करने की शर्तें.**––अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन साम्पत्तिक अधिकार आवेदक को उसके प्ररूप–1 में प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रदान किए जाएंगे।

4. **साम्पत्तिक अधिकार का प्रमाण पत्र जारी करना.**––समिति द्वारा अनुमोदन के उपरान्त प्राधिकृत अधिकारी पात्र स्लम वासियों को प्ररूप–2 में साम्पत्तिक अधिकार का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

5. **प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियां और कृत्य.**––अधिनियम में विनिर्दिष्ट शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त, प्राधिकृत अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा, अर्थात्:–

(क) आवेदक से आवेदन प्राप्त करना और आवेदन की इनके संलग्कों सहित जांच करना।

(ख) सर्वे के अधीन सूर्योदय और सूर्यास्त की अवधि के महम स्लम क्षेत्र के किसी भूमि या परिसरों या किसी भाग में प्रवेश करना।

(ग) सीमाएं चिन्हित करने और ऐसी सूचना प्रस्तुत करने जैसी अपेक्षित हो के प्रयोजन के लिए स्लम वासियों को उसके सामने उपस्थित होने के लिए विनिर्दिष्ट समय में लिखित में नोटिस जारी

करना और प्रत्येक व्यक्ति जिसको ऐसा नोटिस जारी किया जाए, नोटिस द्वारा अपेक्षित के अनुसार उपस्थित होने और कोई ऐसी सूचना जो कि अपेक्षित हो और उसकी जानकारी में है, देने के लिए बाध्य होगा।

(घ) खण्ड (ग) के अधीन नोटिस की सम्यक् तामील के पश्चात्, चाहे ऐसे व्यक्ति जिन्हें नोटिस तामील किया गया था उपस्थित हैं या नहीं, सर्वे की कार्रवाई करना और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उक्त नोटिस में अपेक्षित के अनुसार उपस्थित रहने में असफल रहता है; सर्वे के परिणाम के लिए उसी रीति में और उसी विस्तार तक बाध्य होगा मानो कि सर्वे उसकी उपस्थिति में किया गया था।

(ङ) यदि सर्वे के दौरान सर्वे की जाने वाली किसी भूमि की सीमाओं से सबंधित कोई विवाद विद्यमान पाया जाता है तो उसकी जांच करना, गवाहों को समन करना और उनको हाजिर कराना, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना और अंतर्वलित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् लिखित में आदेश पारित करना।

(च) यह सुनिश्चित करना कि साम्पत्तिक अधिकार का प्रमाण पत्र प्रदान करने के पश्चात् भू अभिलेख में हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के अनुसार नामान्तरण हो; और

(छ) प्राधिकृत अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि सरकारी भूमि पर कोई नया अधिक्रमण या अवैध संरचना निर्मित न हो और यह इस प्रयोजन के लिए, आदेश द्वारा, प्रत्येक शहरी क्षेत्र के लिए अधिकारियों को पदनाम से अधिकृत करेगा जो ऐसे अधिक्रमण या अतिक्रमण को सक्षम प्राधिकारी को, ऐसी अतिक्रमणकारियों को हटाने या ऐसी अवैध संरचना को ध्वस्त करने या ऐसी कार्रवाई करने जैसी आवश्यक हो, लिखित में रिपोर्ट करेगा।

प्राधिकृत अधिकारी अधिक्रमण के समस्त मामलों को सूचित करेगा और अधिक्रमण या अवैध संरचना निर्माण के समस्त मामलों की स्लम क्षेत्र पुनर्विकास समिति द्वारा किए गए सुधारक उपायों सहित मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

6. स्लम क्षेत्र पुनर्विकास और पुनर्वास समिति की शक्तियां और कृत्य.––(1) अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (3) के अधीन शक्तियों और कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 6 के अधीन गठित स्लम क्षेत्र पुनर्विकास और पुनर्वास समिति.–

(क) जब कभी यह उचित समझे, स्लम नक्शा तैयार करने भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) प्लेटफार्म में स्लम परिवारों (हाउसहोलड्ज) की अवस्थितियों और स्थानिक आयाम स्थापित करने, स्लम परिवारों (हाउसहोलड्ज) के सामाजिक–आर्थिक आंकड़े प्राप्त करने, सड़कों, नालियों, जल–आपूर्ति, मलवहन, गली प्रकाश आदि जैसी आधारभूत अवसंरचना के नेटवर्क की बाबत स्थानिक सूचना का मिलान करने के लिए, किसी स्लम क्षेत्र में भूमि या उसके किसी भाग का आवश्यक सर्वेक्षण वचनबद्ध करेगी;

(ख) रजिस्टर में सर्वेक्षण अभिलेखों (रिकॉर्ड), नक्शों और प्रविष्टियों का अनुरक्षण, पुनरीक्षण और शुद्धिकरण करवाएगी;

(ग) साम्पत्तिक अधिकारों के लिए पात्र स्लम वासियों की सूची को अनुमोदित करना और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर स्लम वासियों के ब्यौरों से अन्तर्विष्ट रजिस्टर का अनुरक्षण करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि छह मास के भीतर समयबद्ध रीति से पात्र स्लम वासियों को साम्पत्तिक अधिकार का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है;

(ङ) मान्य और अमान्य स्लम क्षेत्रों की बाबत डेटाबेस का तैयार किया जाना सुनिश्चित करना और राज्य सरकार के साथ साझा करना;

(च) पुनर्वास हेतु उपबंध करने के लिए शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि की पहचान करना;

(छ) स्लम पुनर्विकास और पुनर्वास के लिए योजनाएं और परियोजनाएं तैयार करना, ताकि समस्त स्लम बस्तियों को समयबद्ध रीति में पूर्ण किया जा सके;

(ज) स्लम पुनर्विकास और पुनर्वास के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाना;

(झ) स्लम पुनर्विकास और पुनर्वास के लिए विभिन्न चरणों में सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना;

(ञ) स्लम क्षेत्र पुनर्विकास और पुनर्वास समिति की सहायता के लिए उप–समितियों का गठन करना;

(ट) उप–समितियों, एजेंसियों और विशेषज्ञों के क्रियाकलाप की समीक्षा और समन्वय करना और मूल्यांकन प्रणालियों को व्यवस्थित करना; और

(ठ) समिति किसी भी वैधानिक (कानूनी) बोर्ड या निगम या सरकार के किसी विभाग के साथ समन्वय करेगी, यदि किसी स्लम वासी के कब्जे वाली भूमि ऐसी किसी वैधानिक (कानूनी) बोर्ड या निगम या सरकार के किसी विभाग से संबंधित है, तो वैधानिक (कानूनी) बोर्ड / निगम / सरकार के विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त करेगी। तथापि, यदि वैधानिक (कानूनी) बोर्ड / निगम / विभाग दो मास के भीतर अपनी आपत्ति / अनापत्ति की सूचना नहीं देता है, तो ऐसी परिस्थिति में संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया माना जाएगा।

(2) समिति समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों, आदेशों या मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करेगी।

7. स्लम क्षेत्र पुनर्विकास एवं पुनर्वास समिति के कार्य संचालन की प्रक्रिया.––(1) समिति की बैठकें समिति के अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी और ऐसे अंतराल, समय और स्थान पर आयोजित की जाएगी, जैसी समिति द्वारा विनिश्चित की जाए।

(2) समिति का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) समिति के कार्य संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या से आधी होगी।

(4) सदस्य सचिव या समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित समिति के ऐसे अधिकारी और कर्मचारी समिति के कार्य से सम्बंधित अभिलेखों, खातों, प्राप्तियों और दस्तावेजों का अनुरक्षण करेंगे।

8. प्रमाण पत्र के अभ्यर्पण की रीति.––(1) यदि स्लम वासी जिसे इस अधिनियम के अधीन सांपत्तिक अधिकार दिए गए हैं, किसी अन्य शहरी क्षेत्र में सांपत्तिक अधिकार रखता है और उसके पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र है, तो वह तुरंत ऐसे समस्त प्रमाण पत्रों को संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को अभ्यर्पित कर देगा और अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए प्रमाण पत्रों का उपयोग नहीं करेगा।

(2) प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे प्रमाण–पत्रों की प्राप्ति पर उन्हें रद्द करेगा और आवश्यक अभिलेखों का पुनरीक्षण करवाएगा तथा इन्हें समिति को इसकी अगली बैठक में सूचित करेगा।

9. सुनवाई की रीति तथा अपीलों का निपटान.–(1) धारा 8 के अधीन की गई प्रत्येक अपील व्यवस्थित व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन आदेश के पारित होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर की जाएगी तथा यह प्ररूप–3 में होगी:

परन्तु अपील प्राधिकारी नब्बे दिन की समाप्ति के पश्चात् भी किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका लिखित में यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसे फाईल नहीं करने का पर्याप्त कारण था।

(2) उप–नियम (1) के अधीन अपील प्राप्त होने पर अपील प्राधिकारी, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अंतरिम आदेश सहित, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

(3) अपील प्राधिकारी उसके द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की प्रतिलिपि, सम्बद्ध पक्षकारों तथा, यथास्थिति, समिति या प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित करेगा।

(4) उप–नियम (1) के अधीन की गई अपील पर यथा सम्भव शीघ्रता के साथ विचार किया जाएगा और अपील की प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अपील का निपटान करने का प्रयास किया जाएगाः

परन्तु यदि ऐसी अपील का छह मास की उक्त अवधि के भीतर निपटारा नहीं किया जा सकता है तो अपील प्राधिकारी उस अवधि के भीतर अपील का निपटारा न किए जाने हेतु लिखित में इसके कारणों को अभिलिखित करेगा।

(5) अपील प्राधिकारी, अधिनियम या इन नियमों के अधीन या स्वप्रेरणा से या अन्यथा किए गए किसी आदेश या निर्णय की वैधता या औचित्यता या सत्यता की परीक्षा करने के प्रयोजन से, ऐसी अपील के निपटान हेतु प्रासंगिक अभिलेखों की मांग कर सकेगा और ऐसे आदेश दे सकेगा, जैसे वह उचित समझे।

10. नगर क्षेत्र विकास निधि का गठन तथा प्रशासन.–(1) सम्बद्ध शहरी स्थानीय निकाय अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित नगर क्षेत्र विकास निधि के प्रशासन / प्रबन्धन हेतु उत्तरदायी होगा।

(2) निधि का उपयोग शहरी अवसंरचना और शहरी स्थानीय निकाय के भीतर स्लम में जीवन की परिस्थितियां और पर्यावरण तथा इसके कार्यान्वयन और अनुरक्षण से सम्बन्धित आनुषंगिक व्यय के सृजन और उन्नयन हेतु किया जाएगा।

(3) सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन यदि स्लम में पर्याप्त अवसंरचना सृजित की गई है तो निधि का उपयोग शहरी स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर आने वाले अन्य क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए भी किया जा सकेगा।

(4) निधि का उपयोग और व्यय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों, आदेशों, मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा सकेगा। नगर क्षेत्र विकास निधि को इस अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर अनुरक्षित किया जाएगा। अतः निधि को स्लम क्षेत्र पुनर्विकास और पुनर्वास समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् ही प्रशासित किया जा सकेगा; बैंक खाते का संचालन समिति के सदस्य सचिव द्वारा किया जाएगा।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
(देवेश कुमार),
प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

————————

प्ररूप–1
(नियम 3 देखें)

आवेदन प्ररूप

आवेदक का नाम.....
पति या पत्नी का नाम.....
पिता / माता का नाम.....
लिंग.....
कुटुम्ब के मुखिया का नाम.....

कुटुम्ब के मुखिया की आयु.....
कुटुम्ब के ब्यौरे (दस्तावेज प्रमाण अपेक्षित है).....
आश्रित कुटुम्ब सदस्यों के नाम.....

21–02–1974 को या उससे पूर्व स्लम क्षेत्र में उपजीविका (कोई दस्तावेजी साक्ष्य)

पताः

घर / फ्लैट / घरदार संख्या.....
वार्ड संख्या.....
नगर निगम, नगर परिषद / नगर पंचायत.....
सड़क / पथ / स्लम.....
पूरा पता.....
दूरभाष संख्या.....
तहसील.....
जिला.....
पिन कोड.....
अन्य ब्यौरे.....
आधार संख्या / पहचान संख्या.....
अधिकृत भूमि के ब्यौरे.....
क्षेत्र.....(वर्ग मीटर में) खसरा नं0.....पटवार वृत्त.....
तहसील....., जिला.....
सीमाओं का विवरण.....
क्षेत्र.....
भूमि चिन्ह.....

तारीखः

उद्घोषणाः

(1) यह कि आवेदक अपने कुटुम्ब के साथ लगातार 21 फरवरी, 1974 को या उससे पूर्व स्लम क्षेत्र में सरकारी भूमि पर निवास तथा अधिभोग कर रहा है।
(2) यह कि आवेदक भारत का नागरिक तथा वास्तिक स्थायी हिमाचल निवासी है
(3) यह कि आवेदक ने स्लम क्षेत्र में 75 वर्ग मीटर से अनधिक भूमि पर अधिभोग नहीं किया है
(4) यह कि न तो आवेदक के नाम पर और न ही कुटुम्ब के किसी सदस्य(सदस्यों) के नाम पर, उस भूमि के सिवाए जिस पर साम्पत्तिक अधिकार का दावा किया गया है, भारत में कहीं भी कोई घर या भूमि या भूमि के अधिकार न हो।
(5) यह कि ऐसी सरकारी भूमि पर केवल आवासीय प्रयोजन हेतु अधिभोग किया गया है

उक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

आवेदक

————————

प्ररूप–2
[नियम 5(च) देखें]

सांपत्तिक अधिकार का प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्याः

सांपत्तिक अधिकार के धारक (धारकों) का नाम (पति या पत्नी सहित)

नामः नामः

परिवार का विवरणः

पिता / माता का नामः परिवार के आश्रित सदस्यों का नामः

पताः

द्वार संख्याः जिलाः नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायतः

सड़क / गली / स्लमः वार्ड नंबरः फोन नंबरः

पिन कोडः

अन्य विवरण

आधार संख्या / पहचान संख्या

भूमि का विवरणः

प्रमुख द्वारा सीमाओं का विवरण

क्षेत्र.....(वर्ग मीटर में), खसरा नंबर.....(ततीमा की प्रति), पटवार वृत्त..... तहसील ..... जिला.....

स्थल सीमाः

इस प्रमाण पत्र द्वारा जारी अधिकार विरासत में प्राप्त हुए है, किन्तु अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (3) के अधीन पट्टे , विक्रय, उपहार, बंधक वसीयत या किसी अन्य रीति से हस्तांतरणीय नहीं है।

सांपत्तिक अधिकार का प्रमाण–पत्र पते के प्रमाण पत्र के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा

मैं, अधोहस्ताक्षरी, इसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से सांपत्तिक अधिकारों के उपरोक्त प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अपने हस्ताक्षर करता हूं।

तारीखः **जिला कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी**

———————

प्ररूप–3
(नियम 9 देखें)

अपील के लिए प्रपत्र

सेवा में,

अपील प्राधिकारी,
.....
.....
(नाम और पता)

1. अपीलकर्ता का नाम और पता
(फोन नंबर / ईमेल आईडी सहित)
.....

2. एस ए आर आर सी / प्राधिकृत अधिकारी का नाम
जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील की गई थी;
.....

3. एस ए आर आर सी / प्राधिकृत अधिकारी के आदेश का विवरणः आदेश / अधिसूचना संख्या.....
तारीख.....

4. अपीलकर्ता द्वारा आदेश प्राप्त होने की तारीखः

5. अपील की ओर ले जाने वाले संक्षित तथ्यः
.....

6. मांगी गई राहतः

7. राहत के लिए आधारः

8. अपील पर निर्णय हेतु आवश्यक कोई अन्य सूचनाः

9. संलग्न पत्र की सूचीः

(क) आदेश / अधिसूचना की प्रति, जिसके विरूद्ध अपील की जा रही है

(ख) कोई अन्य दस्तावेज, यदि कोई हो (निर्दिष्ट करें)

घोषणा

मैं.....पुत्र / पुत्री.....निवासी.....सत्यापित करता हूं कि मेरे द्वारा भरी गई उपरोक्त अपील की विषयवस्तु मेरी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य है।

अपीलकर्ता का नाम।

———————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. UD-A (3)-2/2022, dated 11-10-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th October, 2022

No. UD-A (3)-2/2022.—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Himachal Pradesh Slum Dwellers (Proprietary Rights) Act, 2022 (Act No. 9 of 2022), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Slum Dwellers (Proprietary Rights) Rules, 2022.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires;—

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Slum Dwellers (Proprietary Rights) Act, 2022;

(b) "Form" means a Form appended to these rules;

(c) "premise(s)" means any land, building or part of land or building which is used or intended to be used as a residence;

(d) "section" means a section of the Act; and

(e) "slum household" means a family as defined in clause (j) of sub-section (1) of section 2 of the Act.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules, shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act or under the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 or the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994.

3. Conditions for Grant of Proprietary rights.—The Proprietary Rights under sub-section (1) of section 3 of the Act shall be granted to the applicant only after he submits the application in Form-I to the Authorized Officer.

4. Issue of Certificate of Proprietary Rights.—The Authorised Officer shall issue the certificate of Proprietary rights to the eligible slum dwellers in Form-II upon approval by the Committee.

5. Powers and functions of the Authorized Officer.—In addition to the powers and functions specified in the Act, the Authorized Officer, shall exercise the following powers and functions, namely: —

(a) To receive the application from the applicant and examine the application alongwith its enclosures.

(b) To enter upon any land or premises within the slum area or part thereof under survey between the hours of sunrise and sunset.

(c) To cause a notice in writing to be served on the slum dwellers, calling upon them to appear before him within a specified time for the purpose of pointing out boundaries and for producing such information, as may be required and every person on whom such notice may be served shall be bound to appear as required by the notice and to give any information which may be required and is within his knowledge.

(d) After due service of notice under clause (c), to proceed with the survey whether the persons upon whom such notice has been served are present or not; and every such person who fails to appear as required by the said notice shall be bound by the results of the survey in the same manner and to the same extent as if the survey were made in his presence.

(e) To hold an inquiry, if in the course of a survey, a dispute is found to exist as to the boundaries of any land to be surveyed, summon and enforce attendance of witnesses, compel production of documents and to pass an order, in writing, after giving opportunity of being heard to the parties involved.

(f) To ensure that, post providing the certificate of proprietary rights, there is a mutation in the land records in accordance with the provisions of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954; and

(g) The authorized officer shall ensure that there is no fresh encroachment or construction of an illegal structure on Government land, and it shall, for this purpose, by order authorize the officers by designation for each urban area, who shall report in writing such encroachment or violation to the Competent Authority to evict such encroachers or to demolish such illegal structure or to take such action as may be necessary. The Authorized Officer shall inform and file a monthly report of all cases of encroachment or construction of illegal structure along with the corrective measure taken to the Slum Area Redevelopment Committee.

6. Powers and functions of the Slum Area Redevelopment and Rehabilitation Committee.—(1) Without prejudice to the generality of the powers and functions under sub-section (3) of section 6 of the Act, the Slum Area Redevelopment and Rehabilitation Committee constituted under section 6, shall,—

(a) undertake necessary survey of land in a slum area or any part thereof, whenever it thinks fit, to prepare the slum map, establish the locations and spatial dimensions of the slum households into the Geographic Information System (GIS) platform, capture socio-economic data of the slum households, collate spatial information with respect to network of basic infrastructure like roads, drainage, water supply, sewerage, street light etc;

(b) cause maintenance, revision and correction of survey records, maps and entries in registers;

(c) approve a list of slum dwellers eligible for proprietary rights and cause to be maintained a register containing details of slum dwellers at the Urban Local Body level;

(d) ensure that a certificate of proprietary rights is provided to the eligible slum dweller in a time-bound manner within six months.

(e) ensure preparation of database regarding tenable and untenable slum areas and share with the State Government;

(f) identify land available in urban areas for making provisions for rehabilitation;

(g) formulate plans and projects for slum redevelopment and rehabilitation so as to cover all slums in a time-bound manner;

(h) facilitate implementation of the schemes for slum redevelopment and rehabilitation;

(i) encourage community participation at various stages of slum redevelopment and rehabilitation;

(j) Constitute sub-committees to aid and assist the Slum Area Redevelopment and Rehabilitation Committee;

(k) review and coordinate the activities of the sub-committees, agencies and experts engaged and put in place effective implementation, monitoring and evaluation systems; and

(l) the committee shall coordinate with any statutory Board or Corporation or any Department of the Government in case the land occupied by a slum dweller belongs to such statutory Board or Corporation or any Department of the Government and shall also obtain the No Objection Certificate from the Statuary Board/Corporation/Department of Government. However, if the Statutory Board/Corporation/Department does not communicate its objection/no objection within 02 months, in such circumstances the NOC shall be deemed to have been granted by the concerned authority.

(2) The Committee shall discharge such other functions in accordance with the guidelines, orders or standard operating procedures, as may be issued by the State Government, from time to time.

7. Procedure for conduct of business of the Slum Area Redevelopment and Rehabilitation Committee.—(1) The meetings of the Committee shall be convened by the Chairperson of the Committee and shall be held at such intervals, time and place, as may be decided by the Committee.

(2) The Chairperson of the Committee or in his absence, any other member nominated by the Chairperson, shall preside over the meeting.

(3) The quorum necessary for the conduct of business of the Committee shall be one half of the total number of members including Chairman.

(4) The Member-Secretary or such officers and employees of the Committee, nominated by the Chairperson of the Committee shall maintain the records, accounts, receipts and documents connected with the business of the Committee.

8. Manner of surrender of certificates.—(1) If the slum dweller with whom proprietary rights have been settled under this Act holds proprietary rights in any other urban area and he holds any such certificate, he shall immediately surrender all such certificates to the concerned Authorised Officer and shall not use certificates for any purpose whatsoever.

(2) The Authorized Officer, upon receipt of such certificates, shall cancel them and shall cause revision of the necessary records and intimate the same to the Committee at its next meeting.

9. Manner of hearing and disposal of appeals.—(1) Every appeal made under section 8 shall be preferred within a period of ninety days from the date of passing of such order under the Act by the aggrieved person and it shall be in **Form-III:**

Provided that the Appellate Authority may entertain any appeal after the expiry of ninety days if it is satisfied in writing that there was sufficient cause for not filing it within that period.

(2) On receipt of an appeal under sub-rule (1), the Appellate Authority may, after giving the parties an opportunity of being heard, pass such orders, including interim orders, as it thinks fit.

(3) The Appellate Authority shall send a copy of every order made by it to the concerned parties and to the Committee or the Authorized Officer, as the case may be.

(4) The appeal preferred under sub-rule (1), shall be dealt with as expeditiously as possible and endeavour shall be made to dispose of the appeal within a period of six months from the date of receipt of the appeal:

Provided that where any such appeal could not be disposed of within the said period of six months, the Appellate Authority shall record its reasons in writing for not disposing of the appeal within that period.

(5) The Appellate Authority may, for the purpose of examining the legality or propriety or correctness of any order or decision made under the Act or these rules, on its own motion or otherwise, call for the records relevant to dispose of such appeal and make such orders as it thinks fit.

10. Constitution and administration of Municipal Area Development Fund.—(1) The concerned Urban Local Body shall be responsible for the administration/management of the Municipal Area Development Fund, constituted under section 9 of the Act.

(2) The Fund shall be applied for creation and up-gradation of urban infrastructure, living conditions and environment in slums within the Urban Local Body and incidental expenses relating to its operation and maintenance.

(3) If adequate infrastructure has been created and upgraded in slums, subject to the prior approval of Government, the Fund can also be utilized for development works in other areas falling within the limits of Urban Local Body.

(4) The Fund may be utilized and spent in accordance with the guidelines, orders or standard operating procedures issued by the Government, from time to time. The Municipal Area Development Fund shall be maintained at Urban Local Bodies level as per this Act. Thus, the fund may be administrated after approval of the Chairman of Slum Area Redevelopment and Rehabilitation Committee; the bank account shall be operated by Member Secretary of the Committee.

By order,
Sd/-
(DEVESH KUMAR)
Pr. Secretary (UD).

Form-I
[*See* rule 3]

Application Form

Name of Applicant_____

Name of spouse _____

Name of the father/mother _____

Gender _____

Name of the head of the family _____

Age of the Head of the family _____

Family Details (Documentary Proof is required) _____

Name of dependant family members: _____

Occupation in slum area on or before 21-02-1974 (any documentary proof)

Address:

House/Flat/Door No. _____

Ward No _____

Municipal Corporation / Municipal Council/ Nagar Panchayat _____

Road/Street/ Slum: _____

Full Address _____

Phone No._____

Tehsil _____

District _____

Pin code: _____

Other details_____

Aadhar No./ Identification No._____

Details of the land occupied

Area_____(in sq.m.), Khasra No._____, Patwar Circle_____, Tehsil_____, District_____.

Description of boundaries _____

Area _____

Landmarks: _____

Date:

Declaration

1. That the applicant alongwith his family is being continuously residing and occupied the government land in the slum area on or before the 21st day of February,1974.
2. That the applicant is a citizen of India and Himachali bonafide.
3. That the applicant has occupied the land in the slum area not exceeding more than 75 sqm.
4. That not either in the name of applicant nor in the name of any family member(s), any house or land or land rights anywhere in India except this land for which proprietary right is claimed,.
5. That such Government land has been occupied only for the residential purpose.

The above information is true to the best of my knowledge and nothing has been concealed therefrom.

Applicant

_____

Form-II
[*See* rule 5 (f)]

Certificate of Proprietary Rights

Certificate No.

Name(s) of holder(s) of proprietary rights (including spouse)

Name: Name:

Family Details

Name of the father/mother: Name of dependant family members:

Address

Door No. District: Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat

Road/Street/ Slum: Ward No. Phone No:

Pin Code:

Other details

Aadhar No./ Identification No.

Details of the land

Description of boundaries by prominent

Area_____(in sq.m.), Khasra No._____ (copy of Tatima), Patwar Circle_____, Tehsil_____, District_____.

Landmarks

The proprietary rights issued by this certificate are inheritable but not transferable by lease, sale, gift, mortgage will or in any other manner whatsoever under sub-section (3) of section 3 of the Act.

The certificate of proprietary rights shall be acceptable as evidence for address proof.

I, the undersigned, hereby, for and on behalf of the Government of Himachal Pradesh affix my signature to issue the above certificate of proprietary rights.

Date: *District Collector/ Authorised Officer.*

_____

Form III
[*See* rule 9]

FORM FOR APPEAL

To

The Appellate Authority,
……..…..…….
…… (Name & Address)

1. Name and Address of the Appellant (including phone no./ email Id)
   _____
2. Name of the SARRC/ Authorized Officer against the decision of whom the appeals preferred:
   _____
3. Details of order of the SARRC/Authorized Officer: Order/Notification No. _____ dated _____
4. Date of receipt of order by the Appellant:_____
5. Brief facts leading to the appeal:
6. Relief sought:
   _____
   _____
7. Grounds for relief:
   _____
   _____

8. Any other information necessary for deciding the appeal:

_____

_____

_____

9. List of enclosures:

(a) Copy of the order/notification, against which appeal is being preferred

(b) Any other documents, if any (specify):

Declaration

I……son/daughter of…….....residing at ……..... verify that the contents of the above appeal filed by me are true to the best of my knowledge and belief.

Name of Appellant:

_____

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला–02, 11 अक्तूबर, 2022

संख्या यू0डी0–ए(3)–2 / 2022.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश स्लम वासी (साम्पत्तिक अधिकार) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 11 अक्तूबर, 2022 दिवस को ऐसी तारीख नियत करते हैं जिससे उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा

हस्ताक्षरित / –
(देवेश कुमार),
प्रधान सचिव(शहरी विकास)।

————————

[Authoritative English text of this department Notification No. UD-A(3)-2/2022 dated 11-10-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 11th October, 2022

No. UD-A (3)-2/2022.—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 1 of the Himachal Pradesh Slum Dwellers, Act, 2022(Act No. 9 of 2022), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint 11th October, 2022 Day as the date from which the provisions of the said Act shall come into force.

By order,

Sd/-
(DEVESH KUMAR)
Pr. Secretary (UD).